**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू**
**पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.**

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | ता0 दायरा | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 26/2020 | दावा 88 RTA | 20.02.2020 | 23.02.2021 |

फूलचन्द पुत्र श्री रावतराम जाति नाई निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू
2. जीवराज पुत्र श्री रावतराम जाति नाई निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जसरासर

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

**निर्णय**

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 541/200 तादादी 3.4272 हैक्टेयर वाके रोही दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू में वादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा के साथ प्रस्तुत की जा रही है। वादी की इस संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि में दर्ज पैतृक इन्तकाल संख्या 16 में वादी का नाम गलत रूप से फूलाराम पुत्र रावतराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जो आज तक गलत ही अंकित चला आ रहा है जिस कारण वादी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। इसलिए नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादी के पिता रावतराम के फौत होने के बाद वादी के परिवार में लाड़ प्यार से कहने के कारण वादी का नाम फूलाराम दर्ज हो गया था जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम फूलाराम के स्थान पर फूलचन्द दर्ज किया जावे। वादी की पैतृक कृषि भूमि में ग्राम पंचायत दूधवा मीठा द्वारा दिनांक 25.04.1975 को पैतृक इन्तकाल तस्दीक हुआ था जिसमें वादी का लाड़ प्यार से पुकारा जाने वाला नाम फूलाराम पुत्र रावतराम दर्ज हो गया और वादी का नाम फूलाराम आज तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है जिसके लिए यह दावा अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है। वादी का सही व शुद्ध नाम फूलचन्द है ना [illegible]राम। वादी का सही नाम वादी के दस्तावेजों में जैसे कि वादी के [illegible]41570, पेन कार्ड संख्या AKAPP8045Q एवं राशन [illegible] 10 की मार्कशीट आदि वैध दस्तावेज बने हुए हैं जिनमें वादी का नाम फूलचन्द पुत्र रा[illegible]म नाम से बने हुए [illegible] ने जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहा तब पता चला कि वादी किसी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकता क्योंकि वादी का स्वयं का नाम गलत होने के कारण लाभ नहीं ले सकता। इसलिए नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.03.08 10:53:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि वादी ने प्रतिवादी को कहा व कहलवाया कि वादी का नाम मूल दस्तावेज के अनुसार फूलचन्द पुत्र रावतराम राजस्व रिकार्ड में सही अंकन करवा देवें मगर प्रतिवादी टालमटोल करता रहा व आखिरकार दिनांक 06.02.2020 को प्रतिवादी ऐसा करने साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा यही तारीख 06.02.2020 से वाद कारण व वाद हैतुक वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है। नवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी की ओर से दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 541/200 तादादी 3.4272 हैक्टेयर वाके रोही दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू में वादी का स्वयं का नाम गलत दर्ज फूलाराम पुत्र रावतराम को हटाकर उसके स्थान पर सही वा दुरूस्त नाम फूलचन्द पुत्र रावतराम दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में सही नाम का अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं. 2 विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये। वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 3 बैंक का नाम दावा से डिलीट करने बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी एवं वादगत कृषि भूमि की नवीन जमाबन्दी पेश कर निवेदन किया कि दावा दायरी के समय उक्त कृषि भूमि बैंक के रहन दर्ज थी इसलिए बैंक को प्रतिवादी सं. 3 बनाया था। अब वादगत कृषि भूमि रहनमुक्त हो चुकी है। इसलिए प्रतिवादी सं. 3 बैंक का नाम दावा से डिलीट किया जावे। पत्रावली एवं प्रस्तुत नवीन जमाबन्दी के अवलोकन से यह पाया गया कि वर्तमान में वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी से बी.आर.के.जी.बी. शाखा जसरासर का नाम हट चुका है इसलिए प्रतिवादी सं. 3 अब इस दावा में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं रहा है। इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा से प्रतिवादी सं. 3 का नाम लाल स्याही से कॉस करते हुए नाम के आगे DELETE शब्द अंकित कर हटाया जाने का आदेश दिया गया। पैरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

पैरोकार राज ने अपने जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 व 2 में वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार हैं क्योंकि राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित हैं। मद सं. 3 के तथ्य आंशिक स्वीकार हैं क्योंकि इन्तकाल पंचायत द्वारा स्वीकार किया है जिसमें प्राथी का नाम फूलाराम दर्ज हो गया जबकि सभी दस्तावेज में फूलचन्द पुत्र रावतराम है। दावा की मद सं. 4, 5, 6 व 7 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं क्योंकि वादी के सभी दस्तावेज सही व उचित हैं। मद सं. 8 में वर्णित तथ्य अस्वीकार हैं क्योंकि वादी ने कभी भी अदालत में दावा नहीं किया तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र दिया है। दावा की मद सं. 9 कानूनी है इसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। दावा की मद सं. 10 अन्तिम मद में वादी का नाम फूलाराम के स्थान पर फूलचन्द किया जाने का जो अनुतोष चाहा गया है वह अनुतोष सही व उचित है। उक्त मुकदमा का हर्जा खर्चा प्रतिवादी को वादी से दिलवाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो उचित एवं हितकर प्रतिवादी हो अथवा दौराने वाद हो जावे वोह सब भी प्रदान किया जावे। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी के पक्ष में डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.03.08 10:53:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इकबाल जवाब पेश करने एवं प्रतिवादी सं. 2 के विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं होने से दावा साक्ष्यवादी में रखा गया। साक्ष्यवादी फूलचन्द ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिनके बायानात लेखबद्ध किये गये। पैरोकार राज व प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। बयान बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। वादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गई। पैरोकार राज द्वारा इकबाल जवाब पेश करने से साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील वादी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील वादी व पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि वादी की पैतृक संयुक्त खातेदारी की है जो वादी को विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद दर्ज विरासतन इन्तकाल में वादी के परिवार लाड़ प्यार से बोला जाने वाला नाम फूलाराम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जो आज तक गलत अंकित चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम फूलचन्द अंकित है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम फूलचन्द ही है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित होने से के.सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में वादी को काफी कठिनाई व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैरोकार राज इकबाल जवाब पेश करते हुए दावा स्वीकार करने की अनुशंषा की है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे। पैरोकार राज ने दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन करते हुए जाहिर किया कि वादी का नाम शुद्ध किये जाने से राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की हानि होने की सम्भावना नहीं है।

उभय पक्षकारान को सुना जाकर पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खसरा नं. 541/200 तादादी 3.4272 हैक्टेयर रोही दूधवा मीठा में वादी का नाम फूलाराम पुत्र रावतराम 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रदर्श–2 नकल नामान्तरकरण सं. 16 दिनांक 04.05.75 ग्राम दूधवा मीठा जो वादी के पिता का स्वर्गवास होने पर दर्ज हुआ है, जिसमें वादी का नाम फूला अंकित है। प्रदर्श–3 ए आधार कार्ड सं. 429336141570, प्रदर्श–4 ए राशन कार्ड सं. 007049300408, प्रदर्श–5 ए पेन कार्ड सं. AKAPP8045Q, प्रदर्श–6 ए सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1981 की अंकतालिका में वादी का नाम फूलचन्द अंकित है। पैरोकार राज ने अपने जवाबदावा में उक्त दुरूस्ती बाबत कोई प्रतिवाद नहीं कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया है तथा नाम दुरूस्त किये जाने से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना जाहिर नहीं की है। प्रतिवादी सं. 2 विधिवत् तामील के बावजूद ना तो उपस्थित आया है तथा ना ही दावा का कोई विरोध किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.03.08 10:53:17 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 541/200 तादादी 3.4272 हैक्टेयर रोही दूधवा मीठा में वादी का नाम फूलाराम दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड एवं अंकतालिका में वादी का नाम फूलचन्द अंकित है। दावा में पैरोकार राज ने भी वादी का नाम दुरूस्त करने से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं बताई है। वादी द्वारा पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम फूलाराम गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में उसका सही नाम फूलचन्द दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नामों में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों के आधार पर वादी का दावा स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

## निर्णय

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 541/200 तदादी 3.4272 हैक्टेयर रोही दूधवा मीठा में वादी का नाम फूलाराम के स्थान पर फूलचन्द अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस. )
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.03.08 10:53:17 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
## (CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
## अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

**इजलास : श्री अभिषेक खन्ना आई0ए0एस0**

फूलचन्द पुत्र श्री रावतराम जाति नाई निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू
2. जीवराज पुत्र श्री रावतराम जाति नाई निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जसरासर

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 26 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 541/200 तदादी 3.4272 हैक्टेयर रोही दूधवा मीठा में वादी का नाम फूलाराम के स्थान पर फूलचन्द अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23 माह फरवरी सन् 2021 को जारी की गई।

( अभिषेक खन्ना आई.ए.एस. )
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.03.08 10:53:17 IST
Reason: SelfAttested